

फर्द अहकाम

न्यायालय \_\_\_\_\_ वनाम \_\_\_\_\_

मुकदमा संख्या / वर्ष \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कर्तव्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
7/8/24		पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/24 को पेश हों।
8/8/24		<del>पत्रावली पेश हुई। अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हों।</del>
8/8/24		पत्रावली पेश हुई। वकील प्रमोद प्रसाद शर्मा 09R13 CPC का फिलिंग किया जा चुका है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हों।
23/8/24		पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/8/24 को पेश हों।
28/8/24		पत्रावली पेश हुई। वकील प्रमोद प्रसाद शर्मा 09R13 CPC का फिलिंग किया जा चुका है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/8/24 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर जिला (सांगानेर)

Adv. Anand Ji  
R/ G & report  
6/22/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर  
संख्या - 65/2024

मदनलाल पुत्र श्योनारायण उर्फ सोनिया जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम केश्यावाला उर्फ महाशिवपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, हाल पता श्रीराम पेपर फैक्ट्री के सामने, जगन्नाथ पुरा रोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादी संख्या दो / प्रार्थी

वनाम

1 भागवन्द पुत्र श्योनारायण उर्फ सोन उर्फ सोनिया जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी / व

2. नाथूलाल पुत्र श्योनारायण उर्फ सोन उर्फ सोनिया, जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर। ~~दाल निवासी।~~ नारायण विहार, जगन्नाथ पुरा सांगानेर अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तहसीलदार तहसील सांगानेर जयपुर

4. सहायक अभियन्ता (प. व. स.) जयपुर विधुत वितरण निगम लि० स. जयपुर

5. थानाधिकारी, पुलिस थाना मुहाना थाना आरक्षी केन्द्र मुहाना जयपुर जयपुर

प्रति

दावा बाबत बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 151 सी पी सी

मान,

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या दो के द्वारा प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:

1 यह कि प्रार्थी ने गान्य न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 31 सी पी सी मजबूत आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी की होने की पूर्ण आशा है।



मदनलाल शर्मा